बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

पत्रांक : बु0वि0/प्रवेश 2009/कांउसिलिग   दिनांक –...................................

विषय – प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर सत्र 2009–10 प्रवेश के सन्दर्भ में कांउसिलिंग के लिए बुलावा पत्र।

प्रिय अभ्यर्थी,

उपर्युक्त संदर्भ में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध स्थानों पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको की मैरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाने के लिये आपकों कांउसिलिंग हेतु आंमत्रित किया जाता है। काउंसिलिंग विश्वविद्यालय परिसर में प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ होगी। आप कृपया अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल तथा सत्यापित प्रतियां अवश्य लायें । पाठ्यक्रम में सभी वर्गो के लिये उपलब्ध सीटों का विवरण कांउसिलिंग के समय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कृपया निम्न की मूल (Original) एवं सत्यापित प्रतिलिपि (Attested Photocopy) अवश्य लायें।

1. हाई स्कूल, इण्टरमीडियट, स्नातक एवं परास्नातक का प्रमाण पत्र तथा अंकतालिका। (सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अर्हता के अनुसार जो भी लागू हो)।
2. जाति प्रमाण–पत्र (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध होगा)
3. प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड।
4. चरित्र प्रमाण पत्र।
5. शारीरिक विकलांगता/ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/डिफेन्स का प्रमाण पत्र (यदि इसका लाभ प्राप्त करने का मांग किया हो तो)
6. पासपोर्ट साइज के चार फोटो।
7. जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है तो तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
8. यदि आप कहीं सेवारत हैं, तो पाठ्यक्रम अवधि हेतु अवकाश प्रमाण पत्र।
9. विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.bujhansi.org** पर उपलब्ध है तथा इस संदर्भ में दूरभाष सं0–0510–2321158 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य बातें :–

1 काउंसिलिंग फीस रू0 200/– (रू0 दो सौ मात्र) प्रातः 09 बजे से जमा होनी प्रारम्भ होगी। इसलिए आप समय से उपस्थित हों।

2 आमंत्रित अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अर्हता परीक्षा (**Qualifying Exam**) की अंकतालिका काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी ।

3 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर तैयार मैरिट के आधार पर ही अभ्यर्थी का प्रवेश होगा।

4 विभिन्न अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में कुल प्राप्तांक बराबर होने की स्थिति में अर्हता परीक्षा में जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा, उसे वरीयता दी जायेगी। अर्हता परीक्षा में भी बराबर प्रतिशत होने पर आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

5 यदि कोई अभ्यर्थी कांउसिलिंग हेतु निश्चित दिनांक/समय पर उपस्थित नहीं होता है तो प्रवेश हेतु उसका दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा मैरिट में अगले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जायेगा।

6 **अभ्यर्थी को कांउसिलिंग में सीट आवंटन के तुरन्त बाद निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी अन्यथा अगले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जायेगा। अतः उचित होगा कि शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो ''वित्त अधिकारी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी'' के नाम हो, बनवाकर लायें। विशेष परिस्थितियों में शुल्क नकद भी जमा किया जा सकेगा।**

7 उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग हेतु बुलावा पत्र भेजा जा रहा है । अतः बुलावा पत्र का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि प्रवेश सुनिश्चित है। प्रवेश मैरिट के अनुसार तथा विषय समूह के आधार पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार होगा।

8 प्रवेश में उत्तर प्रदेश शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गो में मैरिट के आधार पर महिला वर्ग,शारीरिक विकलांगता एवं स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, डिफेन्स के आश्रित को आरक्षण देय होगा।

9 अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग एवं चिकित्सा शुल्क जमा करनी होगी।

10 अनुसूचित जाति/जनजाति के उन अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने से छूट प्रदान की जा सकती है, जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है। ऐसा अनुरोध केवल तहसीलदार/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।

कुलसचिव